न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 06/16 दायर दिनांकः 12.01.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00041

रामधन पुत्र गिर्राज जाति जाटव नि. सलैमपुर खुर्द तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—वादी

बनाम

1 रूपन्ती पुत्री गिर्राज पत्नि करन जाति जाटव नि. पिपरऊ तह. नदबई जिला भरतपुर 2 राजकुमार 3 जोगराज 4 भीम 5 परसराम पुत्रान रामसिंह 6 ओमवती पुत्री रामसिंह 7 मोहन सिंह 8 केशव पुत्रान कन्हैया जातियान जाटव नि. अम्बेडकर पार्क के पास नदबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री रामेश्वर दयाल शर्मा —वादी

2.श्री मोहित पहाडिया —प्रति.

3.श्री सुशील कुमार पाण्डेय —प्रति.

निर्णय दिनांक 26.11.2024

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 688 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सलैमपुर खुर्द तह. भुसावर में स्थित है, जिसका वादी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

उक्त आराजी को वादी अपने दत्तक पिता के स्व. होने के बाद स्वयं वादी ही 30–40 वर्ष से ही काश्त करता चला आ रहा है, बाद में उपरोक्त आराजी वादी के दत्तक पिता गिर्राज के नाम चल रही थी। उनके स्व. हो जाने के बाद गिर्राज की पत्नि बादामी के नाम चल रही थी, लेकिन करीब 20 साल पहले गिर्राज की पत्नि का स्व. हो चुका है। उपरोक्त आराजी का वादी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार हो चुका है।

उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कभी भी संबंध व सरोकार नहीं रहा है। वादी ने अपने उपरोक्त तथ्य की ताईद में परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटोप्रति वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है, जो उक्त तथ्य की ताईद करती है।

अतः वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि ख.नं. 688 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा का वादी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज फरमाया जावें एवं वादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा श्री सुशील कुमार पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया तथा दिनांक 13.05.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8 की ओर से राजीनामा पेश किया गया तथा दिनांक 19.09.2023 को प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं राजीनामा का भली भाँति अध्ययन किया गया।

अतः उक्त आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 688 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सलैमपुर खुर्द तह. भुसावर का खातेदार वादी रामधन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)